

परिशिष्ट ट

प्रारूप-ण

(नियम 22(क)(6)देखिए )

धारा 30-क के अधीन भू-खण्डों के विलियन हेतु सार्वजनिक सूचना

क्रमांक INDLP23102419093/ दिनांक / 20/NOV/2024

क्र./1509/नगानि/Indore

दिनांक 18/NOV/2024

जनसामान्य की जानकारी हेतु एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/मेसर्स (SIMPLE JAIN)-SIMPLE JAIN S/O RAMESH KUMAR JAIN जो नगर/ग्राम Pipalyahana के खसरा क्रमांक हेतु आदेश क्रमांक INDLP270422323 दिनांक 2022-06-27 द्वारा स्वीकृत अभिन्यास में स्थित RESIDENTIAL , RESIDENTIAL PLOT-PLOTTED HOUSING प्रयोजन के भू - खण्ड क्रमांक A10, A11 को स्वामी हैं, और श्री/श्रीमती/मेसर्स (SIMPLE JAIN)-SIMPLE JAIN S/O RAMESH KUMAR JAIN जो नगर Indore ग्राम Pipalyahana के खसरा क्रमांक 501/1 में स्थित भूमि के हेतु आदेश क्रमांक INDLP270422323 दिनांक 2022-06-27 द्वारा स्वीकृत अभिन्यास में स्थित RESIDENTIAL , RESIDENTIAL PLOT-PLOTTED HOUSING प्रयोजन के भू-खण्ड अथवा नगर / ग्राम Pipalyahana खसरा क्रमांक 501/1 रकबा 1.357 भूमि जिसका भूमि उपयोग RESIDENTIAL है,के स्वामी है द्वारा उपरोक्त भू - खण्ड/भू - खण्ड एवं भूमियों के विलियन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है ।

कोई भी हितबद्ध व्यक्ति उक्त विलियन के बारे में अपनी आपत्ति या सुझाव इस सूचना प्रकाशन के पंद्रह दिन के भीतर, अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय अथवा

<https://dtcp.mp.gov.in/alpass/Web/Objection.aspx?RefApp=1kwW7I3coO>

पर प्रस्तुत कर सकेगा। पूर्व स्वीकृत अनुज्ञा के ब्यौरे तथा मर्जर की जा रही भूमि / भूखण्ड का हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण उपरोक्त कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान अथवा website <https://dtcp.mp.gov.in/alpass/Web/uLogin.aspx> पर किया जा सकता है ।

संयुक्त संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश,  
इन्दौर मध्यप्रदेश,